न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 152/2017

1. भौरीलाल पुत्र श्री सोहनलाल आयु 70 वर्ष, जाति कलाल, निवासी वार्ड नंबर 12, कस्बा बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बस्सी, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर।
2. सचिव ग्राम पंचायत बस्सी, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर।
3. श्रीमति काली देवी पत्नी स्व. श्री गोविन्दराम बैरवा जाति बैरवा, आयु 55 वर्ष, लगभग निवासी वार्ड नंबर 12, कस्बा बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश व निर्णय दिनांक 07.04.2010 सरपंच ग्राम पंचायत बस्सी, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर के द्वारा अवैधानिक व अनियमित रूप से अवैध पट्टा जारी करने का आदेश करते हुए दिनांक 06.05.2010 को अवैध पट्टा जारी किया।

उपस्थितः–

1. श्री रामावतार खजोतिया अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.05.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत बस्सी, पंचायत समिति, बस्सी के संकल्प संख्या 6 निर्णय/आदेश दिनांक 07.04.2010 जिसके द्वारा श्रीमती काली देवी पत्नी स्व. श्री गोविन्दराम बैरवा निवासी वार्ड नंबर 12 कस्बा बस्सी, तहसील बस्सी के पक्ष में 210.24 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी करने का निर्णय लिये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– एक एवं दो की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये तथा अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल तलब की गई। मिसल अधीनस्थ ग्राम पंचायत के पत्रांक 209 दिनांक 22.02.2018 से प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर एकपक्षीय बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बस्सी ने नियमों के विपरीत जाकर अनियमित प्रकिया के तहत अवैधानिक पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया है। निगरानीधीन भूमि

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)

Scanned by CamScanner

निगरानीकर्ता की पुश्तैनी भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के हक में पट्टा जारी कर दिया जो अवैधानिक है। ग्राम पंचायत पुराने घरो का विनियमिति करण करके पट्टा जारी की सकती है जबकि ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा निगरानीधीन पट्टा खाली भूखण्ड का दिया गया है। पट्टे के लिए दिये गये आवेदन पत्र पर गैर निगरानीकार संख्या 3 के हस्ताक्षर नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि पट्टा फर्जी तरीके से तत्कालीन सरपंच व सचिव से मिलीभगत कर जारी किया गया है। पट्टा आवेदन पत्र दिनांक 03.06.2009 का ग्राम पंचायत की कोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जाहिर है उक्त दिनांक को ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक नहीं हुई फिर भी ग्राम पंचायत सचिव के नाम फर्जी व अनियमित रूप से उक्त पट्टा आवेदन को लेकर बिना कोरम के सरपंच ने अनियमित रूप से एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने का आदेश दिया जो पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियमों के विपरीत है। पट्टा आवेदन प्राप्त होने पर पहले मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। तदुपरांत मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर आपत्ति नोटिस जारी किया जाता है। पट्टे आवेदन के साथ संलग्न नक्शे में भी गैर निगरानीकार के हस्ताक्षर नहीं है। दिनांक 06.04.2010 को मौका कमेटी गठित कर उसी दिन मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी संदेहास्पद है। दिनांक 06.04.20110 को अधीनस्थ ग्राम पंचायत की आदेशिका में ग्राम सचिव द्वारा चार बार आदेशिका जारी की गयी। ग्राम पंचायत जारी आपत्ति नोटिस में गवाहान के पूर्ण रूप से नाम पते नहीं है और केवल मात्र हस्ताक्षर ही है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा उक्त निगरानीधीन भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करवाने पर निगरानीकर्ता को उक्त पट्टे की जानकारी होते ही अविलम्ब माननीय न्यायालय में निगरानीधीन पट्टे के विरूद्व निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों की अवहेलना कर गैर निगरानीकार संख्या 3 से मिलीभगत कर तत्कालीन सरपंच, सचिव ने उक्त अवैधानिक पट्टा जारी किया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 07.04.2010 द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 के हक में जारी पट्टा निरस्त करने की कृपा करें।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा गैर निगरानीकार के आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण के आदेश दिनांक 06.10.2009 को जारी किए थे। दिनांक 06.04.2010 को ग्राम पंचायत द्वारा गठित मौका कमेटी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट पेश की गयी। निरीक्षण

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट पर निरीक्षणकर्ताओं एवं ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीधीन भूमि खाली भूखण्ड नहीं होकर पुश्तैनी मकान है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन भूमि के विक्रय के संबंध में आपत्तिया मांगने का सूचना पत्र भी जारी किया गया। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं आने पर ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा संकल्प संख्या 6 द्वारा दिनांक 07.04.2010 के आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 3 को उक्त विवादित सम्पत्ति का पट्टा जारी किया। निगरानीकार द्वारा विवादित पट्टे से संबंधित आदेश दिनांक 07.04.2010 को जारी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है जो कि तथ्य गलत है। निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/तथ्य न्यायालय में पेश नहीं किए जिससे ये स्पष्ट हो कि निगरानीकर्ताओं की विवादित सम्पत्ति पैतृक है व निगरानीकार का विवादित सम्पत्ति पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली बनाई गई है व नियमानुसार आपत्ति नोटिस निकाला गया है एवं पंचायत मीटिंग में दिनांक 07.04.2010 को पटटा जारी किया गया है। वार्ड पंच मौका निरीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट होने पर कि गैर निगरानीकार संख्या 3 का विवादित सम्पत्ति पर कब्जा है इसलिए विवादित पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 3 के हक में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में भी गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 को पट्टा दिये जाने प्रस्ताव संख्या 6 में उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा पूर्ण रूप से विधिक प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार विधिसम्मत ही विवादित पट्टा जारी किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/5/18

(डा. मोहन लाल यादव)
अति.कलक्टर-प्रथम,
जयपुर

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अति.कलक्टर-प्रथम,
एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट-प्रथम
कलक्ट्रेट, जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) न्यायालय
सत्यमेव जयते
जयपुर

Scanned by CamScanner